(64)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म0प्र0

Rs. 301-

केठ्ना दाहिया तनय जगतधारी दाहिया उम्र 92 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम झोंठा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 -----निगरानीकर्ता

R5401-II/16

बनाम

1. महावीर प्रसाद दाहिया तनय श्री जागेश्वर दाहिया
2. केदार प्रसाद दाहिया तनय श्री जागेश्वर दाहिया
3. फूलमती पत्नी स्व0 महिमन दाहिया
4. अंकित दाहिया तनय स्व0 महिमन दाहिया नाबालिग
5. गौरव दाहिया तनय स्व0 महिमन दाहिया नाबालिग दोनों जरिए बली सरपरस्त मां बेवा फूलमती दाहिया सभी निवासीगण ग्राम झोंटा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 -----गैर निगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी द्वारा प्रस्तुत। 12-9-16

12.9.16

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 आदेश दिनांक 09.08.2016 जरिए राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अ-70/14-15 एवं 34/अ-27/15-16।
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

प्रार्थी निगराकार निगरानी प्रस्तुत कर निम्नानुसार विनयी हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

अ. यह कि निगराकारगण महावीर प्रसाद वगैरह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक थे जिनके द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178, 109, 110 के के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा झोंटा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 की आराजी खसरा क्रमांक-243/2 रकवा 0.581हे0 मे उनका 1/2 हिस्सा है, जिसे पृथक किया जाय, अधीनस्थ न्यायालय मे उसका प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2014-15 है।

ब. यह कि एक वर्ष बाद निगराकार ने आवेदक की हैसियत से एक आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5401–II/16 जिला–सतना

केठना दाहिया/महावीर प्रसाद दाहिया

(1)	(2)	(3)
22.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	